इंटीग्रेटेड सिंचाई योजना के नाम पर 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस रकम को और आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर भी अच्छा रहेगा।

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: मान्यवर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच यमुना और चम्बल पर सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बहुत पहले सर्वेक्षण हो चुका है। माननीय रक्षा मंत्री जी जिस जनपद से आते हैं उस जनपद पर भी एक सिंचाई योजना का सर्वेक्षण बहुत पहले हो चुका है। इसी प्रकार बुंदेलखंड में भी सर्वेक्षण हो चुका है। ...**(व्यवधान)**... माननीय जल संसाधन मंत्री जी जहां से आते हैं वहां भी सर्वेक्षण हो चुका है।

श्री मुलायम सिंह यादव: उनका कौन सा जिला है?

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: उनका जिला तो बलिया है लेकिन रहते इलाहाबाद में हैं। मैं बहुत दिनों से जानता हूं, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बुंदेलखंड का भी सर्वेक्षण बहुत पहले हो चुका है और इटावा में भी बहुत पहले यमुना और चम्बल पर हो चुका है। परन्तु यह दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की योजना है, इसलिए बिना केन्द्र के हस्तक्षेप के या बिना केन्द्र की मध्यस्थता के इन योजनाओं की पूर्ति नहीं दिखाई पड़ती है। 20—25 वर्ष पहले इसका सर्वेक्षण हो चुका है। तो क्या मंत्री जी इस तरह का कोई आश्वासन देंगे कि ये दोनों परियोजनायें जो चम्बल और यमुना पर हैं, इनको पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार दोनों राज्यों में सहमति बिठाकर इन्हें पूरा करने का प्रयत्न करेगी?

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, मूल प्रश्न मध्य प्रदेश की सिंचाई योजनाओं को लेकर है.....

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: यह उसी से संबंधित है।....

श्री जनेश्वर मिश्र: अगर मूल प्रश्न से आगे बात होती है तो उसके लिए मुझे अलग से सूचना की जरूरत है।

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: यह उसी से संबंधित प्रश्न है।

श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जैसे मूल प्रश्न में मध्य प्रदेश के बारे में है कि वहां पर बहुत सा एरिया असिंचित है। वहां पर 20.9 का एवरेज आज सिंचाई का है। इसमें केवल 8.9 प्रतिशत सिंचाई का एरिया ट्राइबल, आदिवासी इलाकों, सरगुजा, रायगढ़ आदि जिलों में है। यहां पर बांगों एक बड़ी परियोजना है। इसका बांध बनकर तैयार हो गया है लेकिन उसकी दायीं नहर पैसे के अभाव में नहीं बन पा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस योजना को सहायता देकर इसे जल्दी चालू करवाने में मदद करेंगे? इस प्रकार से बहुत सी योजनायें जो पेंडिंग पड़ी हैं, इनमें रायगढ़ की केलो परियोजना भी है जो कि पिछले 17-18 सालों से केन्द्रीय सरकार के विभिन्न-विभिन्न विभागों में पड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना के बारे में मंत्री जी विचार करके मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा बढ़ाने का आश्वासन देंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, जहां तक आदिवासी क्षेत्रों की सिंचाई का सवाल है, आम तौर से जब कोई मेजर या मीडियम प्रोजेक्ट बनती है तो उस क्षेत्र में कौन-कौन बसता है, कहां-कहां बसता है चूंकि रकबा ज्यादा होता है, इसलिए इन लाइन पर तय नहीं किया जाता है। जहां तक बांगों और दूसरी प्रोजेक्ट्स के बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है, राज्य सरकार से उनके बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी यहां से उनको स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

गांवों में डाकघर खोला जाना

*383. **श्री रामजीलाल:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने गांव हैं और कितने गांवों में डाकघर है;

(ख) गांवों में डाकघर खोलने का मापदंड क्या है; और

(ग) हरियाणा में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें डाकघर नहीं हैं और सरकार ने ऐसे प्रत्येक गांव में डाकघर खोलने हेतु क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार रखती है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) देश में गांवों की कुल संख्या 6,08,752 है। इनमें से 1,34,179 गांवों में डाकघर खोले गए हैं।

(ख) गांवों में डाकघर खोलने के मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**

(ग) हरियाणा में बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या 4479 है। डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के

अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदंडों के आधार पर इनका औचित्य बनता हो और संसाधन उपलब्ध हों। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में 28 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य की तुलना में आज की तारीख तक हरियाणा में 34 अतिरक्त विभागीय शाखा डाकघर पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं।

विवरण

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1. **नये शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड**

1.1 **जनसंख्या**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में:**

एक ग्राम समूह की आबादी 3000 (इसमें उन गांवों की आबादी भी शामिल है जहां डाकघर खोला जाना है।)

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:**

किसी एक गांव की आबादी 500 अथवा गांवों के एक समूह की आबादी 1000

1.2 **दूरी:**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में:**

नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि०मी० होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:**

दूरी सीमा उपर्युक्तानुसार ही होगी, सिवाए इसके कि पहाड़ी क्षेत्रों में निदेशालय द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में, जहां ऐसी छूट प्रदान करने का औचित्य बनता हो, न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है, जिसे प्रस्ताव पेश करते समय स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए।

1.3 **प्रत्याशित आय:**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में:**

न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का 33 1/3 प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:**

न्यूनतम प्रत्याशित आय लागत का 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

2. **नए विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए**

2.1 **ग्रामीण क्षेत्रों में:**

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमेय वार्षिक घाटा 2400/- रुपये प्रतिवर्ष और जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्र में 4800/- रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

श्री रामजीलाल: सभापति महोदय, मंत्री जी ने सारे देश में कुल गांवों की संख्या 6,08,752 बतलाई है और डाकघर जहां खुले हुए हैं, उनकी संख्या 1,34,179 है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मानदंड आपने बना रखे हैं, क्या उसके आधार पर सारे देश में डाक-खाने खोल दिये गये हैं? नम्बर दो, हरियाणा में जैसे कि आपने कहा कि कुल 4479 गांव ऐसे हैं जहां पर डाकघर नहीं है। आपने जो क्राइटेरिया दिया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपने जो दिया है, उसके मुताबिक हरियाणा में शाखा डाकघर खोल दिये गये हैं। जैसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानदंड के हिसाब से 28 डाकखाने खुलने थे और आपने 34 खोल दिये हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा का जो टॉरगेट था मानदंड के हिसाब से आपने पूरा कर दिया है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन्, मूल उत्तर में कहा गया है कि कितने गांव हमारे देश में हैं और कितने डाकखाने खोले गये हैं। मानदंड यह है कि 3000 की आबादी हो, एक बटा तीन आय होनी चाहिये और तीन किलोमीटर की दूरी होनी चाहिये। इस मानदंड के हिसाब से डाकखाने खोले जाते हैं। इस मानदंड के अनुसार जितने डाकखाने हमारे देश में होने चाहियें, उतने नहीं हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हरियाणा के संबंध में जिक्र किया गया है। इस वर्ष हमने वित्त विभाग से खास तौर से अनुरोध कर के कुछ अतिरिक्त मांग की है जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसलिए हरियाणा में लक्ष्य था 28 का लेकिन वहां पर 34 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोल दिये हैं। हरियाणा पोस्टल नेटवर्क में कई प्रान्तों के मुकाबले इस क्षेत्र में आगे है।

श्री रामजीलाल: सभापति महोदय, मैंने पूछा था कि मानदंड के हिसाब से अभी बकाया कितने डाकखाने हरियाणा में खोले जाने हैं? मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है

कि मंत्री जी के ध्यान में यह बात है या नहीं है कि मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास आदि बड़े शहरों में डाक तीसरे दिन पहुंच जाती है। मेरा हिसार शहर है हरियाणा में और वहां से 7 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है। वहां पर डाकखाना है लेकिन एक-एक हफ्ते तक डाक नहीं पहुंचती है। इसका क्या कारण है? स्वतंत्र भारत में 85 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, न वहां टेलीफोन की सुविधा है और न दूसरी सुविधा है, सिर्फ डाक की सुविधा है। डाक व्यवस्था अगर मंत्री जी ठीक न हो तो कभी कभी तो गांव में अपॉयमेन्ट लेटर भी लोगों के रह जाते हैं। कभी शादी की तथा अन्य बहुत जरूरी डाक जो होती है वह डाक भी बंटनी रह जाती है। मेरी खुद की भी जब मीटिंग होती है तब एक एक हफ्ते के बाद चिट्ठी मिलती है। इसलिए डाक का वितरण ठीक नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि गांवों में...

सभापति: प्लीज आस्क द क्वेश्चन।

श्री रामजीलाल: पोस्ट आफिस तो खोल दिए गए हैं लेकिन उनके लिए बिल्डिंग नहीं है और वहां पर कोई पोस्ट बाक्स या इंचार्ज नहीं है, या तो पोस्ट मास्टर को दे देते हैं या किसी अनपढ़ आदमी के जिम्मे लगा देते हैं। इसलिए वहां डाक ठीक से वितरित नहीं होती है। मैं प्रार्थना करूंगा कि क्या आप गांवों में जहां डाकखाने हैं उनके लिए बिल्डिंग बनाने की कृपा करेंगे और इस डाक का वितरण जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पूरी तनख्वाह देकर करवाएंगे। आप महीने में 2-4-5 सौ रुपये दे देते हैं लेकिन 4-5 सौ रुपए में डाक वितरण ठीक नहीं होता है। तो कृपा करके उसी क्राइटेरिया के हिसाब से चाहे 4 या 5 गांवों में डाकखाने खोलें और वहां यह प्रबंध करें कि पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी लगायी जाए ताकि डाक का वितरण ठीक से हो सके तथा उनके लिए बिल्डिंग बनाने की भी कृपा करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन, संसाधनों की कमी है इसको हम सब लोग जानते हैं और यह विभाग भी सेवा अनुदान पर काम करता है इसलिए यह विभाग घाटे में चलता है। वित्त विभाग हमको जो भवन निर्माण के लिए पैसा आबंटित करता है, हम यह जरूर सुनिश्चित कर लेंगे कि वह पैसा पूरा का पूरा खर्च हो जाए। अब तो नवीं पंचवर्षीय योजना आ रही है उसमें हम प्रयास करेंगे कि भवन निर्माण के लिए कुछ हमको अतिरिक्त बजट मिल जाए।

श्रीमन, जहां तक उन्होंने एक खास डाकघर के बारे में और डाक व्यवस्था के बारे में कहा है उसको हम अलग से दिखवा लेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मानदण्ड हैं डाक वितरण के उनका सही ढंग से पालन किया जाए। कुछ ऐसे ओकेजन भी होते हैं जब डाक विभाग में काम बढ़ जाता है। उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करते हैं जैसे कि अभी क्रिसमस और नया साल आने वाला है। उसके लिए हमने कल ही निर्देश दिए हैं। डाक विभाग प्रत्येक वर्ष क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाओं से संबंधित बड़ी मात्रा में प्राप्त डाक का निपटान करता है। अकेले दिल्ली में पिछले वर्ष 1.6 करोड़ ग्रीटिंग मेल पोस्ट की गई। देश के अन्य महानगरों में भी ऐसी ही स्थिति है।

दिल्ली, अन्य महानगरों तथा बड़े शहरों में ऐसी डाक के तुरंत निपटान के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गयी हैं। ऐसी डाक को संग्रहित करने तथा उसका निपटान करने के लिए महत्वपूर्ण डाकघरों में विशेष केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। दिल्ली में आज से ऐसे 54 केन्द्र खोले जा रहे हैं तथा वे 7 जनवरी तक कार्य करेंगे। इन केन्द्रों में अपनी डाक पोस्ट करने के लिए आने वाले ग्राहक सार्टिंग केसों के संबंधित पिजन होलों में सीधे ही डाक पोस्ट कर सकते हैं। दिल्ली में, दिल्ली के वितरण डाकघरों के लिए ऐसे 83 डायरेक्ट सिलेक्शन तथा सभी राज्यों और महत्वपूर्ण नगरों के लिए ऐसे 42 डायरेक्ट सिलेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसी डाक बाद में विशेष बैगों में गंतव्य स्थानों को सीधे ही प्रेषित कर दी जाएगी जो बहुत शीघ्र पहुंचेगी।

तमिलनाडु में पोंगल के लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं की गयी हैं।

श्री राधाकिशन मालवीय: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डाकघर जो हैं वे सरकार को आमदनी देने वाले हैं। यह कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। जो भी पोस्ट आफिस होते हैं उनका एक रेडियस होता है, ज्योरिसडिक्शन होता है—3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। शहर में डाक वितरण में एक तकलीफ होती है, देरी होती है मगर ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण में देरी नहीं हो सकती। मुश्किल से 3 या 5 किलोमीटर का जो आपका रेडियस है उसमें एक गांव में अगर पोस्टमैन पहुंच गया तो वह समय के ऊपर उनकी डाक दे देता है। मगर अक्सर यह देखने में आया है कि गांव में डाक 15-15 रोज और एक एक महीने तक नहीं पहुंचती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, कि गांव में जो डाक वितरण होता है उसके लिए कोई समीक्षा या कोई जांच पड़ताल के लिए आपकी एजेंसी है? और यदि है तो

अभी तक आप ने क्या समीक्षा की कि क्यों गांवों में समय पर डाक नहीं पहुंचती है? और प्रश्न का "ब" भाग यह कि देश के विभिन्न प्रदेशों में डाकघर खोलने का आप का एक क्राइटेरिया होता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्राइटेरिया क्या है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् जांच करने की व्यवस्था विभाग में है और अगर शिकायत मिलती है तो उस की जांच करवाई जाती है। मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट करने के लिए यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आज ही फिर से एक विशेष निर्देश देंगे कि हर प्रांत मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी भेजकर इस बात की समीक्षा करवा ली जाए कि गांवों में लोगों को डाक समय से मिले और अगर नहीं मिल रही है तो हम तक उस की रिपोर्ट पहुंचायी जाये और क्राइटेरिया के बारे में हम ने पहले ही बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3 हजार की आबादी होनी चाहिए। फिर आप ने कहा कि यह लाभ का विभाग है, तो यह लाभ का विभाग नहीं है। हमें जितनी लागत आती है, उस का यदि 1/3 भी मिल जाएगा तो वहीं पर हम डाकखाना खोल देंगे। बस, 3 हजार की आबादी होनी चाहिए। लेकिन पहाड़ी और रिमोट एरिया के लिए इस में छूट है। वहां 5 सौ की आबादी पर भी डाकखाना खोला जा सकता है। यह क्राइटेरिया हम ने उत्तर में भी दिया है। फिर आप ने डाक-वितरण की बात कही। उस बारे में हम ने कह दिया है कि इसे विशेष रूप से दिखवा लेंगे क्योंकि यह हमारी भी जिज्ञासा और इच्छा है कि लोगों को डाक समय पर पहुंचे।

श्रीमती कमला सिन्हा: माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगी कि एक तो यह बहुत ही विडम्बना की बात है कि आज जब लोग चन्द्रमा और मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं। हम आजादी के 50 साल बाद अपने देश के सभी 6 लाख गांवों में पत्र नहीं पहुंचा सके हैं। इन 6 लाख के एक छठे हिस्से में ही हमारे पोस्ट ऑफिस है। यह बहुत ही लज्जा और विडम्बना की बात है। महोदय, आज के जमाने में दूर-संचार और पोस्ट ऑफिस सेवा तो सब से ज्यादा एफीसिएंट होनी चाहिए क्योंकि पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन का यह सब से बड़ा जरिया है। तो मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि सरकार ने नार्म्स बनाए हैं कि किस तरह के गांवों में पोस्ट ऑफिस खोले जा सकते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार नार्म्स में इस तरह सुधार करेगी कि गांवों की आबादी न लेकर क्या आप पंचायतों की भी आबादी लेंगे और क्या हर पंचायत में पोस्ट ऑफिस खोलने की आप की कोई योजना है? अगर है तो कितनी जल्दी आप उस का कार्यान्वयन करेंगे? महोदय, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न यह भी होगा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण अंचल में पत्र-वितरण के बदले गड्ढे में या डाल दिए जाते हैं। तो पत्र-वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है? अगर है तो क्या है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन डाक गड्ढे में फेंक दी जाती है, अगर कहीं से इस बारे में शिकायत मिलेगी तो उस की अच्छी तरह से जांच करवा ली जाएगी, लेकिन हमारे पास जो सूचना है उस के हिसाब से देश में एक भी ऐसा गांव नहीं है जिस में रोज डाक-वितरण न होती हो। फिर जहां आप ने 50 साल पूर्व और आज के डाक घर की बात की तो श्रीमन् जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे यहां 23,344 डाकघर थे और आज 1,53,001 डाकघर हैं। श्रीमन् यह हमारा विश्व का सब से बड़ा नेटवर्क है और ऐसा नहीं है कि अभी तक हम ने प्रगति नहीं की है। हां, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है और अगली पंचवर्षीय योजना में उसके लिए प्रयास करेंगे। श्रीमन् इस समय चीन की आबादी हम से जरूर बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उस से तीन गुना ज्यादा डाकघर रखते हैं। दुनिया का सब से बड़ा पोस्टल नेटवर्क हिंदुस्तान में ही है और हम लोगों को थोड़ा सा संतोष भी होना चाहिए कि हमारा "वर्क कल्चर" भी बैटर है। पंद्रह पैसे का पोस्ट कार्ड जिस की कोई रसीद नहीं होती है, हमारी सूचना के हिसाब से 99 फीसदी लोगों को भले ही कुछ समय देरी से पहुंचता हो, लेकिन पहुंच रहा है।

PROF. NAUNIHAL SINGH: Mr. Chairman, Sir, during the regime of the former Communications Minister, a specific propsal for opening a Branch Post Office in the remote rural area of Bulandshahar District in U.P. was submitted. But nothing happened, although the proposal assured fulfilment of the criteria laid down by the Government.

Sir, may I ask the hon. Minister whether there is a free-play of discretion overlooking the prescribed criteria and the said proposal fell a victim to that and, if so, the reasons for it?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्य गांव का नाम बता देते तो हम उसको अलग से दिखवा लेते।

प्रो॰ नौनिहाल सिंहः गांव का नाम है ....(व्यवधान)..

श्री बेनी प्रसाद वर्माः आप लिखकर भिजवा दीजिए, हम उसको दिखवा देंगे। मनमाने ढंग से नहीं, जो विभाग के मानदंड हैं उन्हीं के हिसाब से डाकखाने खोले जाते हैं।

प्रो॰ नौनिहाल सिंहः सर, माननीय मंत्री जी यह मापदंड जो है, वह अंग्रेजों के जमाने के है। परिवर्तन इतना जबरदस्त हो गया, आजादी हो गई, मगर मापदंड वही रहे हैं। बहुत से मैम्बरों ने कहा कि कुल एक लाख डाकखाने खोले गए हैं, जबकि आठ लाख गांव हैं और मापदंड बराबर वही बना हुआ है। कम से कम डिसकशन यह तो हो कि ज्यादा बढ़ाने का कोई प्रोग्राम है, कितनी तेजी से बढ़ाएंगे, जो गांव रह गए हैं उनमें कितनी जल्दी से डाकखाने या पोस्ट आफिस के ब्रांच खोले जाएंगे। जहां तक गांव का है, गांव का नाम है सोहजनारानी, तहसील - सियाना, डिस्ट्रिक्ट - बुलंदशहर। मैं आपको पत्र भी लिख दूंगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्माः ठीक है, श्रीमन्, दिखवा लेंगे, लेकिन इसको अंग्रेजों के काल से जोड़ने की हम आवश्यकता नहीं समझते हैं और इसलिए हमने पहले ही बता दिया था कि जब देश आजाद हुआ तो 23,344 डाकखाने थे और इस समय 1,53,001 हैं। वह अंग्रेजों के जमाने के मानदंड नहीं है।

प्रो॰ नौनिहाल सिंहः सर, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या क्राइटेरिया वही है, जो पहले था अंग्रेजों के जमाने में या आपने क्राइटेरिया बदला है?

Mr. CHAIRMAN: The criterion has changed, of course.

श्री बेनी प्रसाद वर्माः सर, अभी सिर्फ यह हरियाणा के बारे में प्रश्न था। निश्चित जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर क्राइटेरिया बदला न होता, अंग्रेजों के जमाने वाला होता तो .....(व्यवधान)...

प्रो॰ नौनिहाल सिंहः माननीय मंत्री जी, क्राइटेरिया नहीं बदला है। सिर्फ इसी बात की मैं तसल्ली चाहता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्माः यह हमारे पास सूचना आ गई है कि मानदंड स्वतंत्रता पूर्व काल के नहीं है, समय समय पर इन्हें बदला गया है।

*384. [The Questions (Shrimati Urmilaben Chimanbhai Patel and Shrimati Anandiben Jethabhai Patel) were absent. For answer *vjlde* col. 30 infra.]

अफगानिस्तान से भारतीय मूल के लोगों का पलायन

***385. प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1990 में अफगानिस्तान में भारतीय मूल के कितने लोग थे;

(ख) पिछले छः वर्षों के दौरान अफगानिस्तान में गृह युद्ध के कारण भारतीय मूल के कितने लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा;

(ग) तालिबान द्वारा कट्टर कानूनों को लागू करने से भारतीय मूल के लोगों के मानवाधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

THE MINUTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): (a) It is estimated that there were around 45,000 Afghan nationals of Indian origin in 1990.

(b) Around 10,650 Afghans of Indian origin have arrived in India since 1990.

(c) and (d) We have seen a press report stating that people of Indian. origin have been subjected to harassment in the recent past and that some have left, but have not received any corroborative report on the subject from other sources. We remain vigilant and are prepared to extend all required assistance to Indian in Afghanstan.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि 45000 अफगान नेशनल्स आफ इंडियन ओरिजन वहां पर थे, लेकिन कितने लोग थे जो वहां पर नौकरी करने के लिए भारत से गए थे या व्यापार करते थे और बाद में उनको भी वहां से निकाल दिया गया या भागने पर वे मजबूर हुए? यह तो नेशनल्स है, जो 10,650 आपने बताए हैं, जो भारत में आ गए हैं। कितने भारत में नहीं आए, दूसरे देशों में पलायन करने पर मजबूर हुए, कुछ और देशों में चले गए? इनकी कोई संख्या आपने नहीं बताई। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय वहां पर कितने लोग